

//आदेश//

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये हैं। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-30प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	आगरा	स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह	सर्वश्री ठाकुर कन्सल्टेशन कम्पनी, आगरा	07-09-2025	श्रीमती लक्ष्मी, पत्नी	10.00 लाख
2	झाँसी	स्व0 श्री आशीष गुप्ता	सर्वश्री आशीष किराना स्टोर, मऊरानीपुर	02-06-2025	श्रीमती सोनम गुप्ता, पत्नी	10.00 लाख
3	गोरखपुर	स्व0 श्री विरेन्द्र कुमार	सर्वश्री मधेशिया कोल्ड ड्रिंक एण्ड रेस्टोरेन्ट, महाराजगंज	17-10-2024	श्रीमती गीता देवी, पत्नी	10.00 लाख
4	गोरखपुर	स्व0 श्री कौशला नन्द पाण्डेय	सर्वश्री पाण्डेय वुड फर्नीचर, सन्तकबीरनगर	06-06-2025	श्रीमती विजय लक्ष्मी, पत्नी	10.00 लाख
5	लखनऊ	स्व0 श्री राम सिद्ध	सर्वश्री राम इण्टरप्राइजेज, रायबरेली	09-09-2025	श्रीमती जयदेवी, पत्नी	10.00 लाख
6	अयोध्या	स्व0 श्री महेन्द्र कुमार	सर्वश्री शान्ति ट्रेडर्स, सुलतानपुर	24-09-2025	श्रीमती इसरावती, पत्नी	10.00 लाख

(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, आगरा जोन आगरा, झाँसी जोन झाँसी, गोरखपुर जोन गोरखपुर, लखनऊ जोन-1 लखनऊ, अयोध्या जोन अयोध्या को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, आगरा सम्भाग ए/बी, झाँसी, गोरखपुर सम्भाग-ए/बी, लखनऊ सम्भाग-ए, अयोध्या सम्भाग ए/बी को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त (आईटी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

073
ती प्रमाणित
03-10-25